भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.61
दिनांक 02.02.2021 को उत्तर दिया जाना है

राज्य सरकारों को देय माल और सेवा कर

61. **श्री संजय सिंह:**
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली सहित अन्य राज्य सरकारों को देय माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करने की अपनी असमर्थता व्यक्त की है;
(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे समय में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अन्य विकल्प ढूँढने के लिए कहा है जब यह सरकारें कोविड-19 जैसी महामारी का सामना कर रही हैं; और
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अनुसार, राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व हानि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत कुछ विलासिता वस्तुओं और अवगुण माल पर लगाए जा रहे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर की आय से क्षतिपूर्ति करनी होगी। जीएसटी अधिनियम (राज्यों को क्षतिपूर्ति), 2017 की धारा 10(1) में प्रावधानों के अनुसार जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को एक गैर व्यपगत निधि में जमा किया गया है जिसे भारत के लोक लेखा में जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि कहा जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 10(2) यह प्रावधान करती है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान क्षतिपूर्ति निधि से किया जाएगा। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्यों को कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अप्रैल और मई, 2020 को देय द्विमासिक क्षतिपूर्ति की आंशिक रूप से भरपाई करने के लिए राज्यों को 40,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं क्योंकि अप्रैल-मई, 2020 की अवधि के लिए पूर्ण क्षतिपूर्ति की भरपाई करने के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि पर्याप्त नहीं थी। अत: अप्रैल-मई 2020 की अवधि के लिए शेष जीएसटी क्षतिपूर्ति तथा जून-नवंबर 2020 की पूर्ण अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति सभी राज्यों में लंबित है।

राज्यों को भुगतान की जाने वाली जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी की भरपाई करने के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष विंडो के तहत उचित किश्तों में 1.1 करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे। इस प्रकार ली गई राशि को एक के पीछे एक ऋण के रूप में राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा ताकि क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त बकाया राशि के कारण क्षतिपूर्ति जारी नहीं किए जाने के कारण संसाधन अंतराल की भरपाई करने में राज्यों की मदद की जा सके। इस निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपये की तेरह किश्तें प्रत्येक राज्यों को जारी की हैं। सभी राज्यों ने अस्थायी संसाधन अंतराल से निपटने के लिए इस सहायता का लाभ उठाने का फैसला किया है।

*****